कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम अलवर

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर के द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला पुस्तकालयध्यक्ष पद हेतु भर्ती परीक्षा 2015 मे अभिस्तावित किये गये चयनित निम्न अभ्यर्थियों को निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के पत्रांक शिविरा–माध्य/संस्था/एफ–1/12102/पु.अ.ग्रेड–।।।/सी.भ./206 दिनांक 27.11.207 द्वारा नियुक्ति प्रदान करने हेतु इस कार्यालय को आवंटित किये जाने के फलस्वरूप निम्नानुसार अंकित आशार्थियों को **तृतीय वेतन श्रृंखला पुस्तकालयध्यक्ष के पद** पर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के अनुसार वेतन लेवल 10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रावेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700/– रूपये प्रतिमाह/पूर्व में सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन पर नियुक्ति प्रदान की जाती हैं। राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प.8(1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 09.06.2003 के प्रावधानानुसार इनकी नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत होगी। संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण कराने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से संपादित करेंगे :–

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधित सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के फलस्वरूप कुल संतानों की संख्या दो से अधिक नही होने संबंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
3. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी शेष हैं, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई हैं, उन्हे यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही हैं। अतः कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थियों से नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर अर्जित की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य नही पाई गई तो उन्हे प्रदत्त यह नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।
4. कार्यग्रहण कराने से पूर्व आवेदन पत्र के संलग्न दस्तावेजो का मिलान मूल दस्तावेजो से कर सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण करावें, मिलान मे यदि कोई भिन्न स्थिति पाई जावे तो कार्यग्रहण नही करवाया जावें तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावे।
5. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये, महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नही हैं। परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नही करने पर कार्यग्रहण नही करवाया जावें तथा उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित इस कार्यालय को तत्काल सूचना भिजवाई जावें। उपरोक्तानुसार अन्य पिछडा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछडे वर्ग के आवेदक को कार्यग्रहण कराया जावें।
6. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चितता कर ली जावें कि वही अभ्यर्थी कार्यग्रहण करे जिसके आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा हैं।
7. चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति एतद् विषयक प्रसारित विज्ञप्ति कें संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में लंबित एस.बी.सिविल याचिका संख्या 8555/2017, 11523/2017, 10421/2017 एवं विभिन्न याचिकाओं/अपील के अन्तिम निर्णय के अध्याधीन रहते हुए की गई हैं।
8. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से उनकी पात्रता आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की जॉच आवश्यक रूप से कर लेवें।
9. कार्यग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी से यह शपथ पत्र लेवे कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाऐं एवं दस्तावेज सही हैं इनके त्रुटिपूर्ण–जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेंगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

10. कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधी वचन बद्धता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र मे प्राप्त की जावें।

इन्हे उक्त नियुक्ति पर दिये गये पदस्थापन स्थान पर दिनांक **23-12-2017** तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नही करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा। इनके कार्यग्रहण की सूचना तत्काल इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था की जावें एवं शाला दर्पण पर इनकी सूचना शीध्र अपडेट करें।

क्र. सं.	वरीयता क्रमांक	नाम अभ्यर्थी	पिता का नाम	स्थाई पता	जन्मतिथि	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थल
1	54	SAVITA GUPTA	BHAGWAN SAHAI GUPTA	पत्नि सिद्धार्थ गुप्ता, 295 विजयनगर, विजय मंदिर रोड, अलवर	28/11/1985	GEN	GENF	**GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BAGAD MEO,BLOCK RAMGARH,ALWAR, (08060707401)**
2	31	MOHIT KUMAR	MOHAN LAL VERMA	बी 26/257, राजेश सदन, नवाबंज, दुगाकुण्ड वाराणसी (उ0प्र0)	11/12/1988	GEN	GENM	**GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHANOKHAR,BLOCK KATHUMER,ALWAR, (08061408935)**
3	45	PRADEEP KUMAR SHRIVASTAVA	SATYA PRAKASH SHRIVASTAVA	ग्राम शंकरपुर, पो. महमदपुर, जिला अमेठी, उ0प्र0	10/07/1983	GEN	GENM	**GOVT.SENIOR SECONDARY SCHOOL KHANPUR MEWAN,BLOCK-KISHANGARHBAS, ALWAR (08060407001)**
4	50	YOGENDRA SINGH	BALWANT SINGH	ग्राम भवाणा, सोड, पो0आ0 धोलवीर जिला रूद्रप्रयाग, उत्तराखण्ड	30/06/1979	GEN	GENM	**GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GUWALDA,BLOCK TIJARA,ALWAR, (08060603801)**
5	254	AMAN KUMAR YADAV	SUBBA RAM YADAV	सोफिया स्कूल के सामने, गली नं. 1, सागर रोड, तिलक नगर, बीकानेर	10/10/1989	OBC	OBCM	**GOVT AADARSH SENIOR SECONDARY SCHOOL HARSAULI BLOCK KOTKASIM, ALWAR (08060509515)**

(अरूणेश कुमार सिन्हा)
जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम अलवर

क्रमांकः– जिशिअ/माप्र/अल/संस्था–1/फा–पुस्त.अध्यक्ष नियुक्ति–2016/17/ 25-26 दिनांक – **03.12.2017**

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. शिक्षा उपनिदेशक मा जयपुर संभाग, जयपुर।
3. संबंधित संस्थाप्रधान।
4. संबंधित अभ्यर्थी।
5. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक प्रथम अलवर